UPBN240009292018

Warrant case/326/2018 (Delivered on 21-07-2026)

Presented on : 23-07-2018
Registered on : 23-07-2018
Decided on : 21-07-2026
Duration : 7 years, 11 months, 29 days

न्यायालयः:न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहसवान, जनपद-बदायूँ।

पीठासीन अधिकारीः:हरेन्द्र सिंह,(उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा),(J.O.Code.3676)

आपराधिक वाद संख्याः:326/2018

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन पक्ष

1- सत्यपाल पुत्र रामवीर,
निवासी-गणेशपुर, थाना-गुन्नौर, जिला-सम्भल।

.....अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या-238/2018
अंतर्गत धारा-279, 304-A भारतीय दण्ड संहिता।
अंतर्गत क्षेत्र थाना-जरीफनगर, जनपद-बदायूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य अधिवक्ता(सहायक अभियोजन अधिकारी)-श्री विकास वर्मा।
अभियुक्तगण तरफ से विद्वान अधिवक्ताः श्री प्रशान्त जौहरी एडवोकेट

निर्णय

1- प्रस्तुत फौजदारी वाद में अभियुक्त **सत्यपाल पुत्र रामवीर** के विरूद्ध थाना जरीफनगर जिला बदायूँ की पुलिस द्वारा **मुकदमा अपराध संख्या-238/2018, धारा-279, 304-A भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 थाना हाजा पर इस आशय की दी गयी है कि प्रार्थी भूरे सिंह पुत्र बिहारी लाल निवासी ग्राम आदमपुर थाना जरीफनगर जनपद बदायूँ का मूल निवासी हूँ। दिनांक 27.05.2018 समय लगभग 03.00 बजे दिन के प्रार्थी का भाई लालाराम पुत्र बिहारी लाल अपने खेत से अपने घर आ रहे थे कि रास्ते में तलाब के पास प्रार्थी के भाई से कुछ दिन पहने नरेशपाल पुत्र दिलसुक निवासी ग्राम बिचौला से कुछ कहासुनी हो गई थी। वह नरेश दुश्मनी मानने लगा। मौका पाकर प्रार्थी के भाई को नरेश व नरेश के ड्राईवर उदयवीर पुत्र महेन्द्र निवासी बिचौला दोनों ने मिलकर प्रार्थी के भाई लालाराम को भयंकर टक्कर मारी जिससे लालाराम की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सलागीर मौके के गवाह हरी भगवान पुत्र बिहारी निवासी ग्राम आदमपुर ने भलि-भांति यह घटना देखी थी। मैं आज रिपोर्ट को थाने आया हूँ। मेरी इन दोनों के खिलाफ रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही करने की कृपा करें।

3- वादी मुकदमा की उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या-238/2018 अंतर्गत धारा-302 भारतीय दण्ड संहिता पंजीकृत की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना प्रारम्भी की गयी, विवेचना में घटनास्थल का नक्शानजरी बनाया गया। वादी, चुटैल व गवाहान के बयानात अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये। विवेचना संबंधी समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने, चिकित्सीय रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात विवेचक द्वारा उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या-238/2018 में अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा-279, 304-A भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4- अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आये। उसने अपनी विधिवत रूप से जमानत कराई। अभियुक्त को धारा-207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियेजन प्रपत्रों की नकलें

दिये जाने के पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय द्वारा आरोप दिनांक 08.12.2021 को अन्तर्गत धारा 279/304-A भारतीय दण्ड संहिता विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

5- अभियोजन की ओर से **साक्षीगण पी०डब्ल्यू०-1 के रूप में भूरे पुत्र बिहारी लाल, पी०डब्ल्यू०-2 के रूप में हरिभगवान उर्फ भगवान पुत्र रामबिहारी** को परीक्षित कराया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों के औपचारिक निष्पादन को स्वीकार किया गया। जिसके आधार पर अभियोजन की ओर से अन्य किसी साक्षी को पेश नहीं किया गया।

6- अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दंण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। जिसमें उसने अभियोजन घटना को झूंठा बताया तथा सफाई साक्ष्य दिये जाने से इंकार किया।

7- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अभियोजन अधिकारी के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया।

8- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि यद्यपि अभियोजन साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

9- विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियोजन की ओर से **दो** साक्षीगण को परीक्षित कराया है एवं अभियोजन के केस को साबित करने के लिये साक्षियों की संख्या नहीं देखी जानी चाहिए, बल्कि परीक्षित साक्षी की साक्ष्य की गुणवत्ता को देखा जाना चाहिए। वर्तमान परिवेश में पीड़ित पक्ष ही अपना पक्ष रखने का साहस कर पाता है। ऐसी स्थिति में यदि एक ही साक्षी अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये पर्याप्त है तो अन्य साक्षियों को परीक्षित कराने से मात्र तथ्यों का दोहराव ही होगा।

10- पी०डब्ल्यू०-1 साक्षी भूरे पुत्र बिहारीलाल उर्फ बिहारी जो कि वादी मुकदमा है ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि दिनांक 27.05.2018 को दोपहर के समय जब मेरा भाई लालाराम अपने घर जा रहा था। तो रास्ते में पीछे से एक ट्रैक्टर चालक ने तेजी से चलाते हुए लालाराम के टक्कर मार दी। जिससे लालाराम की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। घटना के सम्बन्ध में मैंने थाने पर रिपोर्ट लिखा दी। तहरीर कागज संख्या-4क/3 पत्रावली में संलग्न है। जिस पर लगे निशानी अंगूठे को तस्दीक करता हूँ।

प्रतिपरीक्षाः-घटना के सम्बन्ध में जो तहरीर थाने पर दी थी। उस पर केवल निशानी अंगूठा लगाया था। उसमें क्या लिखा था। मुझे नहीं पता मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मुल्जिमान सत्यपाल ने मेरे सामने लालाराम को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित नहीं की थी। घटना के समय मैं मौके पर नहीं था।

11- साक्षी से विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह की गयी। दौरान जिरह गवाह को उसका बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता पढ़कर सुनाया गया तो ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था। दरोगा जी ने कैसे लिख लिया मैं इसकी बजह नहीं बता सकता हूँ।

12- पी०डब्ल्यू०-2 साक्षी हरिभगवान उर्फ भगवान पुत्र रामबिहारी उर्फ बिहारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि अब से करीब आठ साल पहले जब मेरे भाई लालाराम अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में एक ट्रैक्टर चालक ने लालाराम को टक्कर मार दी। घटना के सम्बन्ध में मेरे भाई भूरे सिंह ने रिपोर्ट लिखा दी थी। मुल्जिम सत्यपाल ने मेरे सामने लालाराम से टक्कर मारकर मृत्यु नहीं की थी। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

13- साक्षी से विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह की गयी। दौरान जिरह गवाह को उसका बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता पढ़कर सुनाया गया तो ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था। दरोगा जी ने कैसे लिख लिया मैं इसकी बजह नहीं बता सकता हूँ।

निष्कर्ष

14- प्रश्नगत मामले के महत्वपूर्ण साक्षी **पी०डब्ल्यू०-1 भूरे पुत्र बिहारी लाल** जो कि वादी मुकदमा है; के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का अंशतः समर्थन किया गया है, परन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में अपनी मुख्य परीक्षा के बिल्कुल विपरीतार्थक कथन किये गये हैं। वहीं एक अन्य साक्षी **पी०डब्ल्यू०-2 हरिभगवान उर्फ भगवान पुत्र रामबिहारी उर्फ बिहारी** द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं किया गया है। जिस कारण इस साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है।

15- अतः उपर्युक्त विवेचना एवं विश्लेषण से अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित करना साबित नहीं होता है तथा सम्पूर्ण अभियोजन कहानी संदिग्ध हो जाती है।

16- The burden of proof is defined under Section 101 of the Indian Evidence Act:- "Anyone who wants a court to rule on a legal right or responsibility based on facts he claims must first show that such facts exist. The second Section of the statute specifies that when a person is required to show the existence of a fact, that person shall also bear the burden of proof. As a result, a person seeking a favourable decision from the court must provide evidence in support of his case, according to this clause. The usual rule is that the party that asserts a truth bears the burden of proof, not the side that denies it.

17- In criminal trials, the prosecution bears the duty of establishing the defendant's guilt, and they must do it beyond a reasonable doubt. The plaintiff has the burden of proving his case by a majority of the evidence in civil cases. If the prosecution fails to prove the accused's guilt beyond a reasonable doubt, the accused is entitled to an acquittal.

18- यद्यपि अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक प्रमाणिकता को स्वीकार किया गया है, परंतु मात्र अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक प्रमाणिकता स्वीकार किये जाने मात्र से अभियोजन कथानक को अन्यथा साक्ष्य के अभाव में सिद्ध नहीं माना जा सकता है।

19- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी सुप्रसिद्ध विधिव्यवस्था **Nallapati Sivaiah V. Sub Divisional Officer, Guntur AIR.2008 SC 19."**

"The onus and duty to prove the case against the accused was upon the prosecution and the prosecution must establish the charge beyond reasonable doubt. It is also a cardinal principle of criminal jurisprudence that if there is a reasonable doubt with regard to the guilt of the accused is entitled to benefit of doubt resulting in acquittal of the accused.

20- उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस मत का है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है और अभियुक्त लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्त **सत्यपाल पुत्र रामवीर** को **मुकदमा अपराध संख्या-238/2018, धारा-279, 304-A भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है, उसके जमानतनामे व बंध पत्र निरस्त किये जाते हैं, जामिनदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437-ए-(1) दण्ड प्रक्रिया सहिता के अन्तर्गत अंकन 25,000/- रूपये का निजी बंध-पत्र तथा इसी धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करे, जो आगामी छह माह तक प्रभावी रहेगें।

Date:21-07-2026

(हरेन्द्र सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहसवान, जनपद-बदायूँ।
(J.O.CODE. UP3676)

उपर्युक्त निर्णय, आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Date:21-07-2026

(हरेन्द्र सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहसवान, जनपद-बदायूँ।
(J.O.CODE. UP3676)

Transcribed on :Arshad Ali.